समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक....269....../ दिनांक 05/10/2013...../

प्रेषक,

जिलाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषयः– जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) की तैयार की गयी पैनल से अभ्यर्थियों की सूची का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके अधियाचना के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–601 दिनांक–07.08.2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये 14 कार्यपालक सहायकों में निम्नांकित कोटि के कार्यपालक सहायकों द्वारा योगदान नहीं किया गया है।

क्र0	नाम	आरक्षण कोटि
1	अरविन्द कुमार यादव	अति पिछड़ा वर्ग
2	मनीष कुमार	पिछड़ा वर्ग

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त कोटि में जिला स्तर पर कार्यपालक सहायकों (Executive Assistants) की तैयार पैनल से निम्नांकित अभ्यर्थियों की सूची उनके बायोडाटा की प्रति के साथ संविदा के आधार पर नियोजनार्थ भेजी जा रही है।

क्र0	पैनल क्रमांक सामान्य	आरक्षण कोटिवार	Applicant ID	नाम /पिता/पति का नाम	पता	आरक्षण कोटि
1.	2	3	4	5	6	7
1	02	05	ECH001821	उपेन्द्र कुमार पिता–रामाशीष प्रसाद यादव	ग्राम+पो0–सपही, थाना–तुरकौलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण	पि0 वर्ग
2.	08	40	ECH000161	उदय शंकर सिंह पिता–कल्पनाथ सिंह	ग्राम–रघुनाथपुर, पोस्ट–मीरपुर, थाना–चिरैया, पूर्वी चम्पारण।	अति0 पि0 वर्ग

चयनित कार्यपालक सहायकों को कार्य करने हेतु निम्न कम्प्यूटर हाडवेयर के साथ योगदान करना होगा।

a. एक डेस्ट टॉप (Processor-dual Core/Core 2duo, Ram-2 GB or Above)
Operating System Win-7 (32 bit) Or xp Service Pack-3s
b. एक प्रिन्टर (Black & white Laser jet Hp 1007)
c. एक यू0पी0एस0
d. इंटर नेट कनेक्सन Data Card compatible with any GSM SIM.

कार्यपालक सहायको (Executive Assistants) को समेकित रूप से कुल मानदेय 9000.00 रू0 प्रति माह जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी। कम्प्यूटर हाडवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं

होगी। इसमें लगने वाली Consumable Items (पेपर, कॉर्टीज आदि) की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जायेगी। Internet Connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

(ii) इनका नियोजन अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।

(iii) इनके द्वारा सम्पादित कार्य के असंतोषजनक पाये जाने पर बिना कारण बताये इन्हें नियोजन से हटाया जा सकेगा।

(iv) संविदा के आधार पर चयनित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेगे और न ही सरकारी सेवको को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितकरण का दावा मान्य नही होगा।

(v) संविदा पर चयनित कार्यपालक सहायक शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं Computer Operating System (M.S Word, M.S Excel, M.S Power Point आदि) की बेसिक जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में दिनांक 9/10/2013 तक योगदान करना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं योगदान देने की तिथि से वित्तीय लाभ देय होगा।

विश्वासभाजन,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

ज्ञापांक 269 / दिनांक, 05/10/2013

प्रतिलिपिः–संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी